सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

बनाम नाहर सिंह आदि

दावा नं. प्रा.प्र.का. अधि. 212 का मु. 127/2025

23/7/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट मनवीर सिंह चौधरी उपस्थित। नाराज के नाम आवेदन पत्र अपील 212 का मु. पेश किया। रिपोर्ट सहायक लिपिक की गई। आवेदन पत्र अपील 212 का मु. समयसीमा में है। प्रकरण की वैधानिकता पत्र सही है। वैधानिकता की नोटिफाई होकर पत्रावली दिनांक 01/8/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर
01/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी सं. 11 अनुपस्थित। प्रकरण की ओर से एडवोकेट नारायण धारिर आये। पत्रावली वास्ते अगली कार्यवाही दिनांक 5/8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आम पक्ष उप। पत्रावली वास्ते अगली कार्यवाही दिनांक 7/8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर
7/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आम पक्ष उप। वकील प्रार्थी ने दिनांक 6/8/25 को आवेदन पत्र द्वारा आवेदन को विड्रा कर पुनः नया आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने पेश किया गया आवेदन पत्र अपील दिनांक आज। आवेदन पत्र पर वकील आम पक्ष को सुना गया। मूल पत्र सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर

को विक्रय किये जाने के आदेश दिये जा चुके है तथा नगरपालिका पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अतः इस आवेदन पत्र अ० धारा 212 RT Act के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आवेदन पत्र अ० धारा 212 RT Act प्रार्थी के विरुद्ध किया जाता है एवं प्रार्थी के तथा आवेदन पत्र अ० धारा 212 RT Act पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थनी के नियम अनुसार होकर कार्यवाही अग्रिम अमल हो। निर्णय आज दिनांक 7/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर